छतरपुर जिले की न्याय व्यवस्था इतिहास से वर्तमान तक

विश्वधरोहर खजुराहो के मंदिरो को समाहित किए छतरपुर जिले का न्यायिक इतिहास/न्यायिक धरोहर रजवाड़ो के शासन काल से क्रमशः छत्रसाल (बुन्देला शासन), मुगलो, अंग्रजो के शासन से लेकर अद्यतन समृद्ध विरासत रही है।

<u>महाराज छत्रसाल के समय :–</u>

पंचायत व्यवस्था जिसमें हर जाति के दो–दो प्रतिनिधि सदस्य प्रति ग्राम पंचायत सम्मिलित थे इसके उपर पंचकोशी पंचायत, तहसील पंचायत, केन्द्रीय पंचायत छतरपुर में इसके उपर न्यायसभा (धर्मसभा) छत्रसाल की राजधानी महेबा (मऊ) में कार्यरत थी। न्याय व कर्तव्यबोध से संचालित विविध विषयों के जानकार पंडित, शास्त्रज्ञ, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, सात्विक प्रवृत्ति के चरित्रवान विद्वान सम्मिलित थे और सभी अंततः राजा छत्रसाल से न्याय करने में मार्गदर्शन लेते थे।

<u>छतरपुरी पंचायत :–</u>

छत्रसाल ने ''छतरपुरी पंचायत'' का न्याय सिद्धांत दिया था। छतरपुरी पंचायत का न्याय सिद्धांत यह था कि दोनों पक्षों को थोड़ा–थोड़ा लचीला बनाकर दोनों पक्षों के बीच सद्भाव, पूर्ण समन्वय और सामंजस्य बना देते थे, इस प्रकार महाराजा छत्रसाल के ''न्याय, नीति सिद्धांत छतरपुरी पंचायत'' से दोनों पक्ष पूर्णतः संतुष्ट हो जाते थे, इस न्याय सिद्धांत को छतरपुरी पंचायत के रूप में भरपूर प्रसिद्धि मिली थी। आज भी जब कोई पंचायत ग्रामीण इलाके में होती है, तो पंच लोग पक्षकारों को ''छतरपुरी पंचायत'' के अनुसार विवादों को निपटारा करने की सलाह देते हैं।

<u>पंचायत स्थान :–</u>

हर गांव में एक चबूतरा जिसमें देववृक्ष नीम, पीपल, बरगद रोपित किया जाता था और इन्हें छत्रसाली चबूतरा कहा जाता था जहां बैठकर विवाद का निपटारा होता था अवशेष आज भी मौजूद हैं।

<u>बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड की रियासतों की संधि के पश्चात जिले की न्याय व्यवस्था :–</u>

बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड की छोटी रियासतों से अंग्रेजों ने संधि कर उन्हें सनद प्रदान कर अपने अधीन कर लिया तथा ब्रिटिश शासन ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाये रखने के लिए सन् 1842 में छतरपुर रियासत के राजा प्रताप सिंह से नौगांव क्षेत्र की भूमि 19 हजार वार्षिक किरायेदारी से ली थी, इस जमीन पर अंग्रेजी अफसर डब्ल्यू एस. सिलीमेन ने सन् 1942 में नौगांव की स्थापना की तथा सन् 1961 में डब्ल्यू एस सिलीमेन ने एक भव्य एवं विशाल भवन का निर्माण कराया था, जहां से अंग्रेज बुन्देलखण्ड क्षेत्र की छोटी–बड़ी 36 रियासतों का संचालन एवं नियंत्रण करते थे तथा न्याय व्यवस्था का संचालन करते थे।

<u>ब्रिटिश काल में न्यायव्यवस्था :–</u>

ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानूनों से न्याय व्यवस्था संचालित थी।

गर्वनर जनरल एण्ड कॉउसिंल द्वारा राजा विश्वनाथ सिंह बहादुर को छतरपुर स्टेट के आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अधिकृत किया गया था किंतु मृत्यु दण्ड, देश निकाला एवं आजीवन कारावास की सजाओं वाले सभी मामले पुष्टि के लिए गर्वनर जनरल के एजेंट को प्रस्तुत किए जाते थे। वर्ष 1911 में जिले में पहली बार जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हुई।

<u>आजादी के बाद जिले की न्याय व्यवस्था :–</u>

1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तब बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड को मिलाकर 12 मार्च 1948 को विंध्यप्रदेश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी नौगांव को बनाया गया तथा पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस को कमिश्नर का न्यायालय बनाया गया। चूंकि नौगांव कमिश्नरी के अंतर्गत सतना एवं रीवा जिला भी आता था और रीवा जिले के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री जी.पी. सिंह साहब जो बाद में मध्यप्रदेश के न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति बने एवं श्री जे.एस. वर्मा जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जीफ जस्टिस बने, इन्होंने भी नौगांव कमिश्नरी एवं जिला न्यायालय में वकालत की थी। तब छतरपुर राज्य बुन्देलखण्ड का हिस्सा हुआ करता था, जिस कारण जिला न्यायालय नौगांव स्थानांतरित हो गया जहां स्वतंत्रता के पश्चात नौगांव में हाईकोर्ट का गठन हुआ एवं जिला एवं सत्र न्यायालय नौगांव स्थानांतरित हो गया।

<u>1956 मध्यप्रदेश के गठन के समय :–</u>

1950 में विंध्यप्रदेश बना व बाद में 1956 में मध्य प्रदेश बनने पर 06 माह तक मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी नौगांव (छतरपुर) रही एवं तब जिला एवं सत्र न्यायालय छतरपुर स्थानांतरित हो गया।

इस समय छतरपुर जिले में जो क्षेत्र सम्मिलित है, पूर्वकाल में उनमें कोई नियमित न्यायिक संस्थायें नही थी। यहां किसी प्रकार के लिखित कानून नहीं थे। इस क्षेत्र की भूतपूर्व रियासतों के मंत्रियों या प्रमुखों द्वारा मामले सुने जाते थे और उनका निर्णय मौखिक रूप से दिया जाता था। व्यभिचार या अन्य गंभीर अपराध के दोषी पाये गये व्यक्तियों का मुंह काला करके, गधे पर बैठाकर घुमाया जाता था और राज्य से निष्काषित कर दिया जाता था, और जिन महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जाता था उन्हें भी निर्वासित कर दिया जाता था। अन्य सभी मामलों में जुर्माना किया जाता था, भले ही कत्ल किया गया हो। अक्सर ये जुर्माने बहुत भारी किये जाते थे और व्यवहारतः उन व्यक्तियों को तबाह कर देते थे, जिन पर ये जुर्माने किये जाते थे। ये जुर्माने, प्रमुख के विशेषाधिकार समझे जाते थे।

सभी भूतपूर्व रियासतें, जो आज जिले का एक भाग हैं, 19वी शताब्दी के दौरान ब्रिटिश अधिपत्य में आईं। अतएव, व्यवस्थित रूप से न्यायपालिका स्थापित करने के लिये प्रयास किये गये। अतः वर्ष 1864–65 के दौरान, एक नयी न्यायिक पद्धति स्थापित की गई, जिसका प्रमुख एक सक्षम और जिम्मेदार व्यक्ति होता था। यद्धपि, राज्यों के अधीनस्थ पदाधिकारियों के अज्ञान के कारण इसके आरंभ में कुछ कठिनाइयां आई, किन्तु यह आशा की गई थी कि यह संतोषनजक रूप से कर्य करेंगी।

नई पद्धति के अधीन, विभिन्न रियासतें भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रतिबन्धों के अध्यधीन न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी। व्यवहारताः बड़ी सनद रियासतों, जिनमें से एक छतरपुर भी था, के प्रमुखों को सम्पूर्ण दण्डिक शक्तियों सौंपी गई थी, किन्तु मृत्यु दण्ड, देश निकाला अथवा

आजीवन कारावास के दण्ड से संबंधित मामलों में भारत सरकार को सूचना देनी हाती थी। छोटी रियासतों के प्रमुख, साधारणतया ब्रिटिश भारत में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग अपनी क्षमता और अनुभव के अनुसार करते थे। पॉलिटिकल एजेन्ट को ऐसे समस्त गंभीर मामले तथा ऐसे अन्य मामलें, अपने पास न्याय जांच के लिये सुरक्षित रखने का अधिकार था, जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से निपटाना उचित समझता हो। ऐसे प्रमुखों के लिये जिन्हे विशेष शक्तियां प्राप्त नही थी घोर अपराधों के सभी मामलें, पॉलिटिकल एजेन्ट को निर्दिष्ट करना आवश्यक था, पॉलिटिकल एजेनट, अपने प्रभारों की सीमाओं के भीतर, ऐसे स्थानों पर जिला मजिस्ट्रेट तथा सेंशन कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग करता था, जहां देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता था।

बिजावर रियासत में न्यायपालिका :–

भूतपूर्व बिजावर रियासत में ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने के पश्चात ''धर्मसभा'' नामक एक दण्ड न्यायालय बनाया गया। अभी भी मामलों का निर्णय अधिकांशतः पंचायतों द्वारा किया जाता था। किन्तु कार्यवाहियों का अभिलेख रखा जाता था। वर्ष 1897 में नियमित न्यायालयों की स्थापना की गईं निम्नतम न्यायालय तहसीलदारों के थे, जो तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्ति के अधीन, दण्ड दे सकते थे। दीवानी मामलों में तहसीलदारों को 50/–रूपये तक के मुकदमों की सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त थी। नाजिम, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता था, जिसे ब्रिटिश भारत में द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां थी। दीवानी मामलों में उस की शक्तियां 1000/–रूपये तक के मुकदमों तक सीमित थी। ब्रिटिश भारत में दीवान प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता था। दीवानी मामलों में वह 1000/–रूपये से अधिक के मुकदमों की सुनवाई करता था। निचले न्यायालयों के फौजदारी , साथ ही साथ दीवानी मामलों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलें भी उसके न्यायालय में सुनी जाती थीं। प्रमुख सत्र न्यायालय के रूप में बैठता था। वह सभी मामलों की सुनवाई कर सकता था और विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा दे सकता था, किन्तु उसे मृत्युदण्ड तथा आजीवन देश निकाला दिये जाने की सभी सजायें, गवर्नर जनरल के एजेन्ट को प्रस्तुत करनी होती थीं। उसका न्यायालय भी अंतिम अपीलीय न्यायालय था, दीवान की दीवानी तथा फौजदारी अपीलें, उसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती थीं। शासक का निर्णय अंतिम होता था।

ब्रिटिश भारत की सिविल तथा आपराधिक दण्ड संहिताओं, पुलिस अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, परिसीमन अधिनियम आदि का जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किए गये थे, आमतौर पर अनुसरण किया जाता था। दरबार भी, न्यायालयीन प्रक्रिया के ब्यौरों को विनियमित करने वाले परिपत्र जारी करता था।

छतरपुर रियासत में न्यायपालिका :–

छतरपुर रियासत में न्यायपालिका का स्वरूप लगभग बिजावर रियासत के समान ही था। तहसीलदारों के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार केवल मूल मामलों तक ही था जबकि नाजिम और दीवान के न्यायालयों का क़्षेत्राधिकार मूल और अपीलीय दोनो प्रकार के मामलों तक था। महराजा का दरबार खास मुख्यतः अपीलीय न्याय अधिकार का न्यायालय था। किन्तु घोर आपराधिक मामलों में यह न्यायालय मूल न्याय अधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करता था

दीवानी (सिविल) मामलें :–

छतरपुर के तहसीलदार को छोड, जिसे किसी प्रकार की सिविल शक्तियां प्राप्त नही थी, दीवानी (सिविल) मामलों में तहसीलदारों को 200/–रूपये से अनधिक राशि के मुकदमों की सुनवाई की शक्तियां प्राप्त थी। नाजिम को 5000/–रूपये तक की राशि के मुकदमों की सुनवाई की शक्ति प्राप्त थी, सामान्यतः 50/–रूपये, से अनधिक राशि के मामलों में उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था। वह अधीनस्थ न्यायालयों की अपीले भी सुनता था। दीवान 5000/–रूपये से अधिक राशि के मुकदमों की सुनवाई करता था और 5000/–रूपये से कम राशि के ऐसे मामलों की भी सुनवाई करताथा, जिसमें पक्षकार इतने निर्धन हो कि मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ हों। नाजिम के निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की भी वह सुनवाई करता था। उच्च न्यायालय के रूप में बैठने वाला प्रमुख, दीवान के निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करता था।

फौजदारी (आपराधिक) मामले :–

आपराधिक मामलो में तहसीलदार, तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट होते थे, नाजिम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता था। वह तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध अपीले सुनता था और दो वर्षो तक का कारावास और 1,000/– रु. जुर्माने की सजा दे सकता था। ऐसे मामले, जिसमें एक माह के कारावास की सजा या 50/– रु. जुर्माना किया जाता था, अपील योग्य नही माने जाते थे। दीवान, ऐसे गम्भीर अपराधो को छोड़, जिनका निपटारा प्रमुख द्वारा किया जाना अपेक्षित होता था, नाजिम की शक्तियों से परे सभी मामलों का निपटारा करता था। महाराजा को 1894 में प्रदान की गई सनद द्वारा घोर अपराधों में न्याय करने की शक्ति प्राप्त थी, परंतु शर्त यह भी कि मृत्यु दण्ड की सभी सजायें पुष्टि के लिए गर्वनर जनरल के एजेन्ट को निर्दिष्ट की जायेंगी। और यह कि देश निकाला, अथवा आजीवन कारावास के सभी मामलों की नियतकालिक रिपोर्ट पॉलिटिकल एजेन्ट को दी जाएगी।

प्रमुख अपने दीवान के परामर्श से न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित परिपत्र और आदेश जारी किया करता था। ऐसे परिपत्र और आदेश कानून की तरह लागू होते थे। ब्रिटिश भारत के दण्ड और प्रक्रिया संहिताओं का पालन किया जाता था जबकि अन्य ब्रिटिश अधिनियम मुख्यतः मार्गदर्शी के रुप में प्रयोग होते थे।

चरखारी रियासत में :–

वर्तमान में यह रियासत उत्तरप्रदेश के महोबा जिले की एक तहसील है। इस रियासत में भी प्रमुख रूप से भारतीय दण्ड संहिता के अधीन फौजदारी (आपराधिक) मामलों में सत्र न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त थी। किंतु मृत्यु दण्ड, देश निकाला एवं आजीवन कारावास की सजाओं वाले सभी मामले पुष्टि के लिए गर्वनर जनरल के एजेंट को प्रस्तुत किए जाते थे। परगना स्तर पर तहसीलदार होते थे। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था अंशतः 1863 में प्रारंभ की गई। 1880 तक न्यायपालिका पूर्णतः ब्रिटिश उपबंधो की पद्धति पर स्थापित हो गई थी।

विंध्यप्रदेश में :–

1947 में स्वतंत्रता मिलने तक न्याय व्यवस्था लगभग एक सी रही।

1948 में भूतपूर्व विंध्यप्रदेश राज्य बना, जिसमें वर्तमान छतरपुर उसके एक जिले के रुप में सम्मिलित था। राज्य का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी, न्यायिक आयुक्त (जूडिशियल कमिश्नर) का न्यायालय था। यह जिला, जिला तथा सत्र न्यायाधीश नौगांव, के अधीन था, जिसका क्षेत्राधिकार पन्ना जिले तक विस्तृत था। इसके अलावा, छतरपुर, नौगांव और बिजावर में मजिस्ट्रेट के न्यायालय थे। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात छतरपुर जिला, मध्यप्रदेश का हिस्सा बन गया था। न्यायिक आयुक्त (जुडिशियल) का न्यायालय समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण राज्य के लिए जबलपुर में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया।

<u>वर्तमान में जिले की न्याय व्यवस्था :–</u>

इस समय (वर्ष 2017) में छतरपुर जिले के अंतर्गत कार्यरत न्यायालयों की संख्या जिला मुख्यालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त 04 अपर जिला न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जिला उपभोक्ता फोरम, श्रम न्यायालय को मिलाकर कुल 30 न्यायाधीश कार्यरत है, जिले में नौगांव, बड़ामलहरा, बिजावर, लवकुशनगर (लौड़ी), राजनगर एवं बक्स्वाहा तहसीलों में व्यवहार न्यायालय कार्यरत है।